गोदावरी

एक और बांध, एक और कहानी

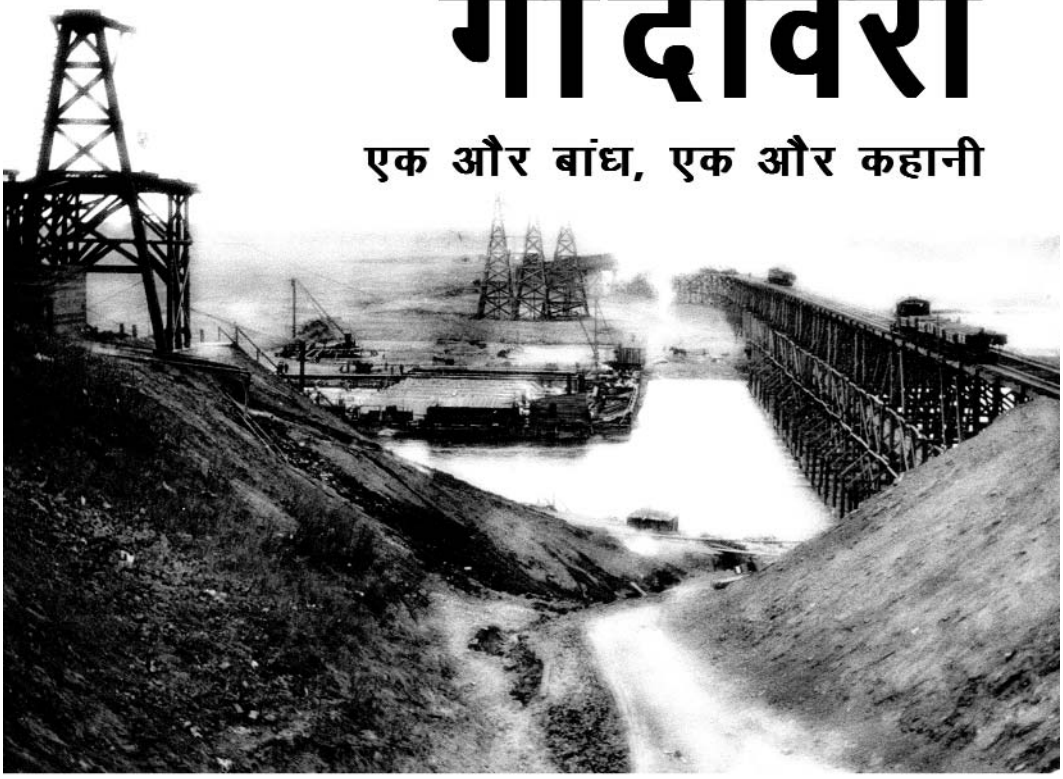

आर. उमा महेश्वरी

''गोदावरी वर्ष में एक बार आती जाती है। हमने इसके साथ रहना सीख लिया है। उसके आने पर अपनी पहाड़ियों की उंचाईयों पर चढ़ जाना हमारे लिए एक सामान्य बात है लेकिन इसने कभी हमारे घरों और जीवन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। हम मोटर से गोदावरी का जल खींचकर अपने खोतों को सींचते हैं....''

कोटला सीतामहालक्ष्मी.

श्रीरामगिरी पंचायत की कोन्डारेड्डी सरपंच, जिला–खम्मम

fo"k; oLr

- आवाम की गोदावरीः जनजीवन और गोदावरी के अन्र्तसम्बंध
- गोदावरी पर बांध
- पोलावरम (इंदिरा सागर बांध) : तथ्य और आंकड़े
- विस्थापित होने वाली महिलाओं की संख्या
- आदिवासी भूमि हस्तांतरण
- पोलावरम बांध का अप्रत्यक्ष प्रभाव
- इस समय डूबक्षेत्र में पर्यटन का फलना–फूलना
- कुछ महत्वपूर्ण विकास
- हाल–फिलहाल (जुलाई 2007)

blank page

xknkojh] unh

गोदावरी नदी अपने उद्‌गम (पश्चिम) से समुद्र (पूर्व में बंगाल की खाड़ी) तक लगभग 910 मील तक जाती है। इसका उद्‌गम स्थल महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्रैयम्बकेश्वर में चिह्नित किया गया है। यह समुद्र तल से 10,668 मीटर की ऊंचाई पर पश्चिमी घाट के सहयाद्री पर्वतीय श्रंखला में है। यह नदी 432 मील की दूरी तय करने के बाद आन्ध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। यह निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद, (आन्ध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र में) वारंगल, पश्चिमी गोदावरी, खम्मम और पूर्वी गोदावरी जिलों में 323 मीटर की ऊंचाई से बहती हुई समुद्र में जा मिलती है।

वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा का जल मिलकर प्रानहिता को निर्मित करती है, यह गोदावरी से जाकर मिलती है। इसका उत्तरी छोर महाराष्ट्र को और दक्षिणी छोर आन्ध्र प्रदेश को छूता है। इसके बाद इन्द्रावती भी गोदावरी में आकर मिल जाती है। इस संगम के बाद यह नदी छत्तीसगढ़ में लगभग 15 मील तक और उसके बाद इस संगम के दोनों किनारे आन्ध्र प्रदेश में मिल जाते हैं।

गोदावरी की अन्तिम मुख्य सहायक नदी साबरी (इसके पहले सवेरी कहा जाता था) है यह कस्बा भद्रचलम के मंदिर के एक किनारे से मिलती है। इसके बाद गोदावरी पूर्वी घाट की पर्वतीय श्रंखलाओं (स्थानीय भाषा में इसे पापी कोन्डलू कहा जाता था, जो कि एक वन्य जीव अभ्यारण्य है) के घाटी मार्ग में विभाजित हो जाती है और बाद में डेल्टा क्षेत्रों से नीचे बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आ मिलती है।

vkoke dh xknkojh% tuthou vkj xknkojh d: vUr: l EcUèk

''गोदावरी साल में एक बार आती–जाती है। हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। इसके आने पर अपनी पहाड़ियों की ऊंचाईयों पर चढ़ जाना हमारे लिए एक सामान्य बात है लेकिन इसने कभी हमारे घरों और जीवन को पूरी तरह नष्ट नहीं किया। हम मोटर से गोदावरी का जल खींचकर अपने खेतों को सींचते हैं...'' (कोटला सीता महालक्ष्मी, श्रीरामगिरी पंचायत की कोन्डारेड्‌डी सरपंच, जिला– खम्मम)।

''साल में चार महीने के लिए गोदावरी हमारा पोषण करती है, तीन महीने के लिए खेती योग्य जमीन पर श्रम करके (अपनी व दूसरों की जमीन पर श्रम करके) और बाकी बचे महीने में ये पहाड़ियां और जंगल हमारा पोषण करते हैं – नालूगू नेल्ललू गोदावरी म्मआम्मलनी पेन्चूतुन्दी, मुदु नेल्लू व्यावसायम व्यावसाया कूली पनी, मिगिल्ना नेल्ललू टू कोन्डलू, आदनी ममल्लनी पेंन्चूतयी....'' (कुन्चैयाह वराहलक्ष्मी, पेदियापंचायत की अध्यक्ष,

जिला– पश्चिमी गोदावरी) यह एक दलित (माला) है। इन गांवों के दलितों के लिए गोदावरी का आगमन बहुत महत्वपूर्ण होता है। (पेदियका गांव पोलावरम के पास है) जब गोदावरी का फैलाव और ठहराव इन गांवों में होता है, उन महीनों में ये लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। गोदावरी नदी अपने उन्माद में सागौन और बांस के लट्ठे बहा ले आती है जिसे माला पुरुष इकट्ठा करते हैं। बाढ़ के समय माला पुरुष ऊंचाई पर चले जाते हैं और लकड़ी के एक लट्ठे की मदद से बहते हुए लट्ठों को इकट्ठा करते व रस्सी से बांधते हुए नदी के साथ यात्रा करते हैं। वे इन टूटे हुए पेड़ों और लट्ठों को इकट्ठा करके कुछ पैसे कमाते हैं। वे इन्हें बेंचकर 100 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक कमा लेते हैं, जो उनके सौदे पर निर्भर होता है। अतः इस तरह इन महीनों में इन्हें ''गोदावरी पोषित करती है''।

''हम गोदावरी के आने की प्रतीक्षा करते हैं (''गोदावरी असतुनदनी एदूरचुस्तुनतामू...'') वह हमारी फसलों और जीवन को संपोषित करती है। हमारी खेती उसके आने के बाद तीन महीनों में होती है। बाकी के महीनों में हम झींगा फार्म पर (कम्मास और कापुस जैसे उच्च जाति के फार्म) प्रतिदिन मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं या फिर दूसरी जगहों पर जाकर काम करते हैं। यदि गोदावरी नहीं आया करती तो हमारी खेती नहीं होती.... बारिश और गोदावरी से हमारी फसल होती है... हम केवल बाढ़ के समय ही अच्छा पानी पाते हैं। यदि पोलावरम बांध बनता है तब हमें पानी नहीं मिलेगा, तब गोदावरी आज की तरह नहीं आएगी। (बिजयालक्ष्मी, भैरवालंका अनुसूचित जाति कालोनी, जिला–पूर्वी गोदावरी)।

दलित अपनी एक से तीन एकड़ जमीन पर दालें और धान पैदा करते हैं। उनके गांव कछार गाछ के जंगलों की ओर हैं। यह गोदावरी के मुहाने पर है। यह पूर्वी गोदावरी जिले में प्रथम पोलावरम मंडल के नाम से जाना जाता है। जब वे खेती नहीं करते उस दौरान महिलाएं मजदूरी करती हैं। वे प्रातः 6 बजे निकलकर शाम को 7 बजे लौटती हैं।

विजय लक्ष्मी कहती हैं, ''जब बांध बनेगा तब हमें केवल खारा पानी मिलेगा, बाढ़ का पानी नहीं मिलेगा, जो हमारी फसलों के लिए जरूरी है''। इस गांव का (150 माला परिवार वाला गांव) पोलावरम बांध से कोई लेना देना नहीं है और यह लिखित है कि ये गांव बांढ़ से डूबते नहीं हैं लेकिन ये बांध उनकी आजीविका के पैटर्न को प्रभावित करेगा। और यह वे विशेषज्ञ की सलाह (उन पर थोपे) लिए बिना ही समझ चुके हैं।

ये सभी लोग एक मुख्य बात को चिन्हित करते हैं कि आमतौर पर राज्य की नीति गोदावरी की गति व उसके प्रभाव के अर्थशास्त्र को उनके जीवन और आजीविका से

नहीं जोड़ता है इसका अर्थशास्त्र 'असूचित' है इसे बहुधा अशोधित अंकगणितीय सांख्यिकीय तालिकाओं में अर्थशास्त्र व सांख्यिकीय ब्यूरो द्वारा नियमित प्रकाशित किया जाता है। उनका (जनता) अर्थशास्त्र रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा होता है जिसका आधार मजबूत लेकिन प्रभाव सामान्य होता है। यह परिप्रेक्ष्य उन कुछ महिलाओं का है जो आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी और खम्मम के नौ मंडलों के तटीय गांवों में रहते हैं और जो प्रस्तावित इन्द्रसागर पोलावरम बांध के अधीन डूब जाएंगे, जिसको मैं यहां प्रस्तुत करने की कोशिश कर रही हूं।

xknkojh ij ckèk

vkifuosf'kd bfrgkl

19वीं शताब्दी के मध्य में औपनिवेशिक शासकों ने गोदावरी नदी पर अपनी रुचि दिखायी। इंजीनियर सर ऑर्थर कोटन (1802–1899) की देख–रेख में गोदावरी का एनिकट तैयार किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत में गोदावरी नदी का डेल्टा ईस्ट इंण्डिया कंपनी की उत्तरी सरकार के अधीन था। यह अपनी विविध फसलों के लिए जाना जाता था। ईस्ट इंण्डिया कंपनी के अधीन रहे इस क्षेत्र में 1820 और 1840 में सूखे और अकाल का प्रभाव पड़ा। इस काल के अन्त में बाढ़ के जल से नहर बनाकर कृषक अर्थव्यवस्था को सुधारने (आगम मद बढ़ाने) के उपाय किये गये। गोदावरी एनिकट (दौलइसवरम) को सूखे और अकाल से बचने के उपाय के रूप में देखा गया। गोदावरी एनिकट का निर्माण गन्ने की खेती के लिए सिंचाई के अलावा गोदावरी डेल्टा और कृष्णा डेल्टा के चावल की फसल की सिंचाई करने के उद्देश्य से किया गया था। इसका तात्पर्य नदी की आन्तरिक यात्राओं का आरंभ होना भी था।

iksykoje ckèk dk bfrgkl

1941 में सिंचाई विभाग के मुख्य अधिकारी दीवान बहादुर एल. वेंकट कृष्णा अय्यर ने गोदावरी पर एक कृत्रिम झील बनाने का प्रस्ताव रखा। यह पोलावरम के पास है। इस पर बॉयी ओर तुनी तक व दायीं ओर एलूर तक जाने वाली दो उच्च स्तर की नहरें, पहली फसल के लिए 2.5 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई व दूसरी फसल के लिए 1 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए बनायी गयीं।

1951 में सर एस.वी. राममूर्ती ने पोलावरम के पास 130 मीटर बांध के निर्माण व सिंचाई की नहरों के (जाल के) निर्माण की योजना प्रकट की। इस बांध को जीराम पदासागर

बांध कहने का प्रस्ताव आया, ऐसा इसलिए कि यह उस क्षेत्र को भद्रचलम मंदिर के देवता राम के पैरों तक जलमग्न करेगा। इसे सर्वेक्षित किया गया, उस समय आन्ध्र प्रदेश विभाजित नहीं था।

भाषाई राज्यों के पुर्नसंगठित हो जाने के बाद, प्रस्तावित बांध से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के भागों को डूबने का खतरा दिखा, तब अर्न्तराज्यीय विवाद पैदा हुआ। गोदावरी बेसिन के पड़ोसी राज्यों की गोदावरी पर हिस्सेदारी थी। इस तरह गोदावरी जल वितरण अधिकरण की स्थापना हुई।

1978 में एक 50 मीटर ऊंचा पोलावरम बांध बनाने की योजना बनी। 1982 में दुबारा, इसके बांई ओर एक मुख्य नहर बनाने व बिजली घर बनाने की योजना इसके साथ जुड़ी, जिसकी लागत 884 करोड़ रुपये आंकी गयी। 1984 में इस योजना में 398 करोड़ रुपए की लागत वाली एक नहर दायीं ओर बनाने का प्रस्ताव भी जुड़ा। 1985 में केन्द्रीय जल कमीशन (सी. डब्ल्यू. सी.) ने इस परियोजना पर ध्यान दिया और इसकी सिफारिश पर योजना में मामूली सा परिवर्तन किया गया। संक्षेप में कहा जाए तो आन्ध्र प्रदेश में पोलावरम बांध बनाने का विचार तटवर्ती व डेल्टा क्षेत्रों को लाभ पहुंचाने के एकमात्र उद्देश्य के साथ काफी लम्बे समय से चला आ रहा है।

xkojh ty ij fookn vkj xknkojh rFkk ty fookn vfèkdj.k ¼th MCY;w Mh Vh½

गोदावरी का फैलाव क्षेत्र 6 राज्यों में है– महाराष्ट्र, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। गोदावरी और इसकी सहायक नदियां लगभग 1,20,777 तर्ग मील का सफर तय करती हैं और लगभग 75 प्रतिशत उत्पादन 3000 TMC (Thousand Million Cubic Meters) निम्नलिखित राज्य वार आवाह विसर्जन क्षेत्र हैं:–

महाराष्ट्र	–	58,764 वर्गमील
कर्नाटक	–	1,701 वर्गमील
आन्ध्र प्रदेश	–	28,263 वर्गमील
मध्य प्रदेश (तब छत्तीसगढ़ भी शामिल था)	–	6,854 वर्गमील
उड़ीसा	–	6,854 वर्गमील

उपरोक्त पाँच (छत्तीसगढ़ बनने के बाद अब छः) नदीतटीय राज्य अपनी उपयोगिता की

आवश्यकतानुसार 3000 टी एम सी में हिस्सेदारी करने के लिए अधिकृत है। सभी राज्यों के हिस्सों को तय करने और उनके बीच मतभेद को हल करने के लिए सरकार ने गोदावरी जल विवाद अधिकरण बनाया। दिनांक 10 अप्रैल 1969 की अधिसूचना नं. एस.0.1421 के तहत यह अधिकरण बना।

पांच राज्यों द्वारा गोदावरी जल से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर स्थिति की सुनवाई के बाद (अधिकरण ने) उन्हें जल के बंटवारे और विवाद के मुद्दों पर द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहमति पर पहुंचने की सिफारिश की। अधिकरण (GWDT) ने सभी राज्यों को अनुबन्ध का पालन करने का निर्देश दिया और अनुबन्ध को अपने निर्णय का हिस्सा बनाया।

GWD अधिकरण द्वारा राज्य आधारित गोदावरी जल का आबंटन निम्न प्रकार है–

महाराष्ट्र	–	888.90	TMC
कर्नाटक	–	19.90	TMC
मध्य प्रदेश	–	625.46	TMC
आंध्र प्रदेश	–	1172.78	TMC
उड़ीसा	–	0292.96	TMC

ikykoje ¼bfnjk lkxj ckèk½ rF; vkSj vkdM+s] vkfèkdkfjd nkos] vkfèkdkfjd vkSj okLrfod gkfu;k

सरकारी तौर पर पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी जिलों और खम्मम जिले (इसमें 274 स्थान IV सूची खेत्र में हैं) के एजेंन्सी क्षेत्रों के तकरीबन 276 आदिवासी गांव डूबते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार 2,37,000 लोग विस्थापित हो जाएंगे।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार कुल विस्थापित जनसंख्या में 47 प्रतिशत आदिवासी, 15 प्रतिशत दलित, 17 प्रतिशत पिछड़ी जातियां और बाकी अन्य जातियां हैं जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार विस्थापितों में 55 प्रतिशत जनजातियां हैं। सबसे बड़े भाग वाले डूब क्षेत्र में कोया, कोन्डारेड्डी, कोयादोरा लोगों के घर और खेत आते हैं। आधिकारिक रिकार्ड में कोन्डारेड्डीयों को 'आदिम जनजातीय समूह' सूचीबद्ध किया गया है।

1. Thousand Million Cubic Meters

पोलावरम और देवीपत्तनम मंडल के गांव, (पश्चिमी और पूर्वी गोदावरी जिले) छिन्तूर, कुनावरम, वी.आर. पुरम, कुकुनुरू, वेलैरपटू, बुरूगमपटू और भद्रचलम (खम्मम जिले) डूब क्षेत्र में पहले आते हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाली आजीविका में कृषि (स्थापित और स्थानान्तरित), वन्य आधारित आजीविका (निम्न वन्य उत्पाद का एकत्रीकरण इत्यादि), पशु पालन (गाय–बैल, बकरी और घर के पीछे जमीन पर मुर्गी पालन) और मछली पालन आते हैं। डूब क्षेत्र की दो तिहाई से अधिक उपजाऊ भूमि पर नगदी फसल बोई जाती है जहां भूमि उत्पाद की महत्वपूर्ण मात्रा में तम्बाकू की खेती से प्रति एकड़ 5000 रूपये तक प्राप्त होता है।

इस परियोजना से विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, यह दकियानूसी सरकारी आंकड़ों में भी है।

सरकार की वृहत् योजना के अनुसार ''कृष्णा और गोदावरी को जोड़ा जाए, जिससे कृष्णा पर जल का भार कम होगा, सुविधाओं और मत्स्य पालन का पुर्नसृजन होगा इत्यादि''। सरकार की इस योजना से मछुआरा समुदाय के पारंपरिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा– ये निश्चित मौसमों में गोदावरी के तट पर बसे रहते हैं। नदी पर एक बार बांध बनने पर उनके अधिकारों पर जो प्रभाव पड़ेगा, उस पर ध्यान देने की जरूरत है।

उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पोलावरम बांध बनाने का विरोध किया, क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकारों ने पोलावरम बांध बनाने का विरोध किया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के आदिवासियों की बस्तियां भी परियोजना के डूब क्षेत्र में आती हैं।

vU; iHkko

EIA (ईआईए) की 185 सूत्रीय रिपोर्ट में यह बताया गया है कि ''मलेरिया, फाइलेरिया और गायना कृमिरोग के मानव समूहों में फैलने की संभावना होगी... (और) इन क्षेत्रों में कीटाणु और प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के बढ़ने और फलने की संभावना रहती है। घरेलू क्षेत्रों में कुछ सामान्य बीमारियों – जैसे डायरिया, कालरा और टायफायड होने के आसार रहते हैं।''

2 स्रोतः– एम भारत भूषण, कार्यकर्ता (तेलंगाना और आदिवासी विकासीय मुद्दे), निजी वितरित पेपर, उद्धरित EIA 1985 पंक्ति 4.03.4।

ikihdkUMky oU; tho vH;kj.; &

fOy|Irik; l|ugjh fNidyh dk ?kj

हैदराबाद के wwf (वर्ल्ड वाइड फन्ड फॉर नेचर) के राज्य कार्यालय के अनुसार आन्ध्र प्रदेश की उत्तरी पूर्वी घाट की ikihdkUMk पहाड़ियां सुनहरी छिपकली (कैलोडेक्टीलोड्स औरियस) का निवास स्थान है। यह दुर्लभ और विलुप्तप्राय छिपकली की एक प्रजाति है। यह सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश के दक्षिण पूर्वी घाट की शेषचलम पहाड़ियों पर पायी गयीं। यह गंभीर रूप से विलुप्तप्राय छिपकली Hkkjrh; oU; tho ¼l|j{k.k½ vfèkfu;e 1972 dh vu|lph I d Hkkx 2 के तहत पहचानी और संरक्षित की गयी। यह wwf के भारतीय स्टाफ द्वारा पापीकोन्डा पहाड़ियों पर लगाए गए एक नेचर कैम्प में खोजी गयी थी।

i|jkrÙoh; èkjkgj

प्रख्यात विद्वान प्रो. एम.एल.के. मूर्थि ने लिखा है कि पोलावरम बांध का निर्माण पुरातत्त्वीय दृष्टि से एक भयंकर गलती होगी...'' वे चिन्हित करते हैं कि पूर्वी, पश्चिमी गोदावरी और खम्मम जिले के डूब क्षेत्रों में मानव उपस्थिति लगभग 1.5 लाख वर्ष पुरानी है। पोलावरम डूब क्षेत्र में पत्थर घिसने के औजार, भारी भरकम पत्थर के औजार, मध्य प्रस्तर काल और नवप्रस्तर काल के अवशेष प्रचुरमात्रा में पाए गए हैं। इस क्षेत्र में 5000 ईसा पूर्व से ही चावल के प्रयोग करने के अवशेष देखे जा सकते हैं। वे यह भी बताते हैं कि पापीकोन्डालू के निकट खम्मम जिले के कोइडा और इशनूर गांवों में लौहयुग के कुछ पदार्थ, पके मृदभांड पाए गए हैं। रामावरम और रूद्रमकोटा में लौहयुग के कब्रगाह पाए गए हैं।

इसी बीच सरकार ने इस धरोहर की हानि पर जवाब देते हुए कहा कि वह भविष्य में पोलावरम में एक संग्रहालय की स्थापना करेगी जहां पर इन अवशेषों को सुरक्षित रखा जाएगा बिल्कुल उनकी मूल परिस्थिति से बाहर !

ikykoje ckèk ls txy dh tehu Mcxh

आंध्र प्रदेश सरकार के सिंचाई और अधिकार क्षेत्र विकास विभाग ने इस परियोजना पर अपनी रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट के अनुसार परियोजना द्वारा 3223 हेक्टेयर की वन्य संरक्षित भूमि डूब जाएगी। ये क्षेत्र हैं इलेरू (248.60 हेक्टेयर), काकीनाडा (112.31 हेक्टेयर), विजयवाड़ा (40.83 हेक्टेयर), भद्रचलम दक्षिण (2271 हेक्टेयर), भद्रचलम उत्तर (16 हेक्टेयर) और पलान्चा (533.61 हेक्टेयर) मंडल।

r:yxkuk i{k

तेलंगाना राज्य की वकालत करने वाले आन्ध्र (मुख्यतया तटवर्ती आन्ध्र और डेल्टा क्षेत्र) की अपेक्षा तेलंगाना (खम्मम, मेदक, नालगोन्डा, महबूबनगर, आदीलाबाद, करीमनगर, वारंगल जिले) राज्य की असमान विकास दर ढेर सारे मुद्दे उठाते हैं। सिंचाई सुविधाओं का प्रबन्ध करने के लिए जल की भूमिका निर्णायक होती है। यहां जिस तरह का विकास सिंचाई सुविधाओं और संरचना के विकास के लिए दिखता है, इसमें तेलंगाना क्षेत्र का ज्यादातर भाग (रॉयल सीमा के अलावा) सूखाप्रवृत्त और कृषि शुष्क भूमि पर निर्भर है।

''1956 में तेलंगाना के आन्ध्र प्रदेश में विलय होने से पहले तक तेलंगाना का बुवाई क्षेत्र 1,19,47000 एकड़ था जिसमें 17,55,000 एकड़ सिंचित क्षेत्र, 14.69 प्रतिशत बुवाई क्षेत्र शामिल था। विलय के 50 सालों में तेलंगाना का सिंचित क्षेत्र थोड़ा सा बढ़कर 18,40,000 एकड़ तक हो गया जबकि 1956 से पहले आन्ध्र प्रदेश का सिंचित अयाकूट 34.5 लाख एकड़ था, जो 99.0 लाख एकड़ तक बढ़ा। तेलंगाना की 100 लाख एकड़ से अधिक खेती युक्ति में केवल 18 लाख एकड़ भूमि पर ही निश्चित सिंचाई की सुविधा है, जिसमें वर्तमान में स्थित और कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं, यह किसी भी पैमाने पर बहुत कम है। जल की काफी संभावना के बावजूद इतने वृहत स्तर पर सिंचाई विषमता की मुख्य वजह 1 नवम्बर, 1956 से आज तक सत्ता में आने वाली सभी सरकारों द्वारा जान बूझकर की गयी उपेक्षा है। आज तेलंगाना भारत के निम्न विकसित और आर्थिक रूप से पिछड़े राज्यों में से एक है। यह मुख्यतः सिंचित कृषि में आए गतिरोध के फलस्वरूप है।''3

3 उमाकांत कोरीडे, ''इफेक्टिव युटिलाइजेशन ऑफ गोदावरी वाटरस फॉर द डेवलपमेंन्ट ऑफ तेलंगाना'', उस्मानिया विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग द्वारा मार्च 18–19 2005 को कराए एक राष्ट्रीय सेमिनार ''क्षेत्रीय पहचान और उच्चारण'' से सम्बद्ध।

जहां तक पोलावरम बांध परियोजना का सम्बन्ध है तो तेलंगाना के खम्मम जिले के आदिवासी डूब क्षेत्र का एक बड़ा भाग (सरकारी अनुमान के अनुसार 30 आदिवासी निवास–स्थान) व लगभग एक लाख एकड़ खेती योग्य भूमि इसमें आएगी और इसका लाभ पूर्वी और पश्चिमी गोदावरी के 7.12 लाख एकड़ के लिए प्रस्तावित है। और यह

---

2. Source: M. Bharath Bhushan, Activist (Telangana and tribal developmental issues), private circulated paper, quoting EIA 1985, para 4.03.4

3. In Biksham Gujja, S. Ramakrishna, Vinod Goud, Sivaramakrishna, eds, Perspectives on Polavaram: a Major Irrigation Project on Godavari, Academic Foundation, Delhi, 2006, pp. 135-7

उस सिंचित लाभ के अतिरिक्त है जो ताड़ी पुरड़ी और पुष्करम के अन्तर्गत आएगा। इस सिंचाई योजना के विस्तार से यहां के किसानों की उन्नति होगी जबकि तेलंगाना क्षेत्र के किसानों को लाभ नहीं मिलेगा।

vkUèk izns'k ljdkj vkSj flapkbZ esa fgr

जुलाई 2006 में हुए एक प्रेस कान्फ्रेंस में आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ने आन्ध्र प्रदेश के भावी औद्योगिक निवेशकों के लिए कुछ लाभकारी निवाले फेंके। इसमें सभी सिंचाई योजनाओं का 5 प्रतिशत जल अलग इस्तेमाल करने के लिए छूट देना था – लगभग 26 मुख्य और मध्यम परियोजनाएं 46000 करोड़ रूपये की लागत पर हैं।

उन्होंने यह भी कहा, ''मैं दिल्ली में उद्योगपतियों से मिला, उन्हें आन्ध्र प्रदेश की स्थिति और इससे होने वाले लाभ के बारे में बताया। मैंने उनसे कहा कि यदि कोई उद्योगपति एक नई इकाई शुरू करने के बारे में सोच रहा है तो उसे सबसे पहले आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र में रखकर सोचना चाहिए। यहां पर कुछ आकर्षण है। निम्न बिजली शुल्क जो कि प्रति वर्ष 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक कम होगा, आरंभिक पांच वर्षों में नई औद्योगिक इकाई के लिए 75 पैसा प्रति यूनिट, खाद्य संसाधन उद्योगों के लिए 25 पैसे का एक अतिरिक्त उत्प्रेरक जैसे कुछ आकर्षण हैं। वे (उद्योगपति) आन्ध्र प्रदेश में उद्योगों को मिलने वाले लाभ से प्रभावित हुए और उनमें से कुछ ने मुझे निश्चित किया कि वे आन्ध्र प्रदेश को केन्द्र में रखकर निवेश के लिए सोचेंगे। तटवर्ती क्षेत्र काकीनाड़ा में हमारे पास बड़े पैमाने पर गैस का प्रबन्ध है। हम काकीनाड़ा और विजाग के बीच एक तटवर्ती विकास गलियारा का निर्माण करने की योजना बना रहे हैं। इस क्षेत्र में विकास की अधिक संभावना है। विजाज एक औषधीय शहर है, इस शहर का लाभ यह है कि व्यक्तिगत इकाईयों को पर्यावरण सम्बन्धी क्लीयरेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सबसे बड़ा लाभ है। भारत सरकार डाटा द्वारा 14 सेज इस राज्य में अनुमोदित हो चुके हैं।

4 आन्ध्र प्रदेश भवन में 13 जुलाई को हुयी प्रेस कान्फ्रेंस

dk;Z fnolksa esa deh

आन्ध्र प्रदेश रैयथुसंघम और आन्ध्र प्रदेश राज्य कृषि मजदूर यूनियन ने फसलों के अनुरूप आदमी के काम के दिनों और मजदूरी को अनुमानित किया। जैसे 1000 एकड़

4- foLFkkfir gkus okyh efgykvksa dh la[;k&

विस्थापित और बेदखल होने वाली जनसंख्या में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक होगी। उदाहरण के लिए डूब क्षेत्र और 1996 की जनगणना के आंकड़ों पर आधारित (ESS की रिपोर्ट में 67.3 प्रतिशत अनु.जाति महिलाएं, 79.3 प्रतिशत अनु.ज.जाति महिलाएं, 58 प्रतिशत पिछड़ी जाति महिलाएं, 37 प्रतिशत अन्य जातियों की महिलाओं के प्रभावित होने की बात सामने आयी है।[5]

5 आन्ध्र प्रदेश व्यवसाय व्रुथीदारूलू यूनियन के द्वारा सम्प्रेषित किया गया, वर्तमान में एक समूह बांध का विरोध कर रहा है।

अखिल भारतीय कृषक मजदूर यूनियन, आन्ध्र प्रदेश अध्याय के राज्य प्रधान सचिव बी. वेन्कट के अनुसार इस परियोजना से लगभग 85000 कृषक मजदूर विस्थापित होने की कगार पर हैं, जिसमें 62 प्रतिशत संख्या महिलाओं की होगी।

''2001 की जनगणना के अनुसार, परियोजना से प्रभावित गांवों की कुल जनसंख्या 2,36,834 है। पुरुषों की संख्या 1,17,321 थी जबकि महिलाओं की संख्या 1,19,513 थी। यह प्रति 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाओं का लिंग अनुपात दिखाता है।

स्रोतः प्रोजेक्ट अफेक्टेड परसन्स इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन प्लान (PAPERP) इंदिरा. सागर (पोलावरम) परियोजना, कृषि वित्त कारपोरेशन लिमिटेड हैदराबाद द्वारा सितम्बर 200?, तैयार किया गया पृष्ठ 35, इसी स्रोत से तालिका ली गयी है।

2001 की जनगणना के अनुसार, परियोजना से प्रभावित गांवों की कुल जनसंख्या	2,36,834
पुरुषों की संख्या	1,17,321
स्त्रियों की संख्या	1,19,513
लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषो पर)	1019 महिलाएं
एस. सी. जनसंख्या	29,796(12.58 प्रतिशत)
एस. टी. जनसंख्या	1,25,934(53.17प्रतिशत)

खेती के सन्दर्भ में कार्यदिवसों पर गौर करें, पुरुषों की अपेक्षा अधिक संख्या में महिलाओं की हानि होगी।

6. As interpreted by the Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union, presently one of the groups opposing the dam.
7. Source: Project affected persons economic rehabilitation plan (PAPERP) of Indirasagar (Polavaram) project, prepared by Agricultural Finance Corporation Limited, Hyderabad, September 200, p. 35. Table from same source

भूमि पर कपास पैदा करने के लिए औसतन 150 प्रतिवर्ष कार्य दिवस की आवश्यकता पड़ती है, जिनकी मजदूरी 32 रुपये प्रतिदिन है), 10,000 एकड़ भूमि पर धान उगाने के लिए प्रति एकड़ (प्रतिवर्ष) 75 व्यक्ति कार्य दिवस उत्पन्न करता है (मजदूरी 30 रुपये), 6000 एकड़ भूमि पर तंबाकू पैदा करने के लिए प्रतिवर्ष प्रति एकड़ पर 250 व्यक्ति कार्य दिवस देता है (प्रतिदिन 60 रूपये), इस प्रकार कपास उत्पादन में प्रतिवर्ष 5000 करोड़, धान में तीन करोड़, और तम्बाकू में 8 करोड़ नुकसान होगा, जिसकी भरपाई सरकार के R & R पैकेज में मुश्किल से ही होगी।

ckèk l: igy: vfyf[kr gkfu

जब मैं चेगोनादपल्ली की एक कोया महिला सक्कूबाई से मिली थी तब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बांध स्थल पर काम करने पर रोक लगाने के बावजूद उत्पलावन मार्ग पर निर्माण कार्य जारी था। यहां तक कि बांध को सभी तरह की आधिकारिक अनुमति दिये जाने के पूर्व इस गांव को हुए नुकसान की कभी भी क्षतिपूर्ति नहीं की गयी। उसने कहा था, ''यह परियोजना हमारे लिए नुकसानदेह है। वे प्रतिदिन हमारे खेतों में मलबा और ढेर सारी मिट्टी डाल रहे हैं। हमने कई बार NRO , RDO (राजस्व अधिकारी) से मदद लेनी चाही। हम किसानों ने खेती योग्य जमीन इस मलबे के चलते खो दी है लेकिन हमें किसी तरह की क्षतिपूर्ति नहीं मिली''। चेगोनादपल्ली उन गांवों में से था जिस पर इस तरह के प्रभाव का प्रत्यक्ष असर पड़ा। डायनामाइट्स का धुआं उनके गांव पर दिन–रात छाया रहता हैं। इस पर उनकी मांगों की कोई सुनवाई नहीं है।

बांध की सबसे मुखर विरोधी मुच्छिका सुरम्मा तब इसमें शामिल हुईं। ''अब वे मीठा बोलेंगे, जैसे ही प्रश्न करेंगे वे हमें गाड़ियों में भरकर दूर लेकर चले जाएगे''। वास्तव में सुरम्मा आज राम मंदरि के महिला कारावास में विभिन्न आरोपों जिसमें धारा 341 (''किसी व्यक्ति या अधिकारी को काम पर गलत तरीके से रोकना'') धारा 153 (I) (के सह–पूजा स्थल पर वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना'') और धारा 124 I (राजद्रोह) के तहत बन्द है। सुरम्मा और उनके साथियों ने उत्पलावन मार्ग के निर्माण कार्य चलने के दौरान RDO और ज्वाइन्ट कलेक्टर से प्रश्न किया था जिसकी वजह से उन्हें जेल में डाल दिया गया।

5. Press Conference on 13th July held at the AP Bhavan.

I kLdfrd cukoV dh gkfu

आदिवासियों की सामाजिक–सांस्कृतिक व्यवस्था को उनकी अर्थव्यवस्था से अलग नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अनुष्ठान खेती के व्यवहारानुरूप और मौसम की ताल के साथ जुड़ा होता है। वे समाकोट्टा त्योहार मनाते हैं (कभी वर्षा ऋतु में, एक फसल होने का समारोह करते हैं; समालु, गोन्गूरा, पोट्टालू, टोटाकूरा (पत्तियों वाली हरी सब्जी) या कोन्डा जोन्ना कोट्टालू (पहाड़ी मकई के विभिन्न प्रकार की फसलों का समारोह) या मातीदिक्काइपाईन्गा (आम का समारोह) मनाते हैं। प्रत्येक देवता व देवियां (कोलमराजूलू, चिकात्ती–राजूलू, गामुव्यालम्मा, साईथम्मा) किसी एक पेड़ से जुड़े होते हैं। वे पेड़ कभी काटे नहीं जाते। वो मानव निर्मित प्रतीक या रूप नहीं होते हैं केवल 'अवधारणा' हैं जिसे पेड़ से जोड़कर अनुकूल बना लिया जाता है। जो उस त्योहार, अवसर और उन क्षणों के लिए होता है। उनके त्योहार तैयार फसलों से या किसी विशेष मौसम की शुरुआत से जुड़े होते हैं, एक मौसमी फल भी शुभ का आग्रदूत होता है।

यह सब कुछ विस्थापन की वैश्विक अर्थव्यवस्था के विस्तार में कभी चिन्हित नहीं हुआ है।

nfyr

दलितों की स्थिति औरों से भी बदतर है। ज्यादातर दलितों को उच्चजाति के जमींदारों द्वारा आदिवासी जमीन पर खेती करने के लिए लाया गया था, R & R रिपोर्ट में दलितों का जिक्र कभी नहीं किया गया है। वे भूमिहीन कृषि मजदूर के रूप में एक बार अपर्याप्त मौद्रिक मदद पा सकते हैं लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं हैं उनके लिए इसकी कोई गारंटी नहीं है क्योंकि वे अपनी पहचान सिंद्ध नहीं कर सकते। कुछ दलितों ने अन्यत्रवासी आदिवासियों से पट्टे पर जमीनें लीं थीं लेकिन अब आदिवासियों का समूह मुआवजे के लाभ का दावा करने के लिए अचानक लौट रहे हैं।

मरिगुद्रदेम गांव (खम्मम–जिला) के एक 70 वर्षीय वृद्ध सरोजिलामा ने क्रोध और उत्तेजना के स्वर में कहा ''हम कहां जायं ?'' गोदावरी में डूब जाएं ? हम यहां क्या खाएंगे ? हम जैसे लोगों को ये पैकेज खत्म कर देंगे; क्योंकि हमारे पास अपनी जमीनें नहीं हैं तब क्या तुम्हारी सरकार खुश होगी? शायद पोलावरम परियोजना खुश होगी जब हमारे

6. As interpreted by the Andhra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union, presently one of the groups opposing the dam.

7. Source: Project affected persons economic rehabilitation plan (PAPERP) of Indirasagar (Polavaram) project, prepared by Agricultural Finance Corporation Limited, Hyderabad, September 200, p. 35. Table from same source

जैसे छोटे मजदूर मर जाएंगे। शायद हामरे पास अब इन पेड़ों को पकड़कर रोना ही बचा है। जमींदार अपनी जमीनें ले लेंगे। हमारे लिए क्या'' ?

> पेदिपक्का की सरपंच वराहलक्ष्मी कहती है, ''हम अनुसूचित जाति के लिए मुख्यतः कालोनी की मांग कर रहे हैं (आरएण्डआर पैकेज में)। हमें तीन एकड़ जमीन की भी जरूरत है; क्योंकि पोलावरम बांध बनने से दलित विस्थापित होकर भूमिहीन हो जाएंगे। यहां हमारे पास कम से कम जमीन का छोटा टुकड़ा तो होगा। इस तरह का पर्यावरण हमें और कहां मिलेगा ? हम जानते हैं कि हम सबकुछ खो देंगे। लेकिन, यदि अंततः जाना ही पड़ा तो कम से कम सरकार यह सुनिश्चित करे कि दलितों को दुःख न झेलना पड़े। हम डेल्टा के लोगों की तरह ही अपने जीवन का बलिदान दे रहे हैं। हम दलितों के लिए निःशुल्क शिक्षा की मांग कर रहे हैं जबकि अन्य सभी (आदिवासी समुदाय) लोग 40,000 (घरों के लिए) रुपये प्राप्त कर रहे हैं, हमें केवल 20,000 रुपये...... मुख्यमंत्री अन्य स्थानों के दलितों और कमजोर वर्गों के लिए जमीनें मुहैया करवा रहे हैं। उन्हें पोलावरम परियोजना से विस्थापित हुए दलितों के लिए भी समान कार्य करने चाहिए।''
>
> पेलिपका एससी कालोनी ने एउरापोटू छीनीपीरी ने कहा, ''केवल अनुसूचित जातियों के लिए सर्वेक्षण करवाए गए। सरकार केवल अनुसूचित जातियों को पट्टा देगी। हमारे पास 1 से 3 एकड़ तक की भूमि (कुछ के पास आधा एकड़ से भी कम भूमि है) है। हममें से बहुत बिना भूमि के हैं। 1978 में हमें व्यवस्थापन पट्टा दिया गया था और 1986 में पास बुक।

हम तब से इन जमीनों पर खेती कर रहे हैं, लेकिन एमआरओ और कलेक्टर केवल आदिवासी लोगों से आकर मिलते हैं। वे क्षतिपूर्ति और R & T पैकेज पर हमसे सलाह नहीं करते। बहुत पहले 3 MRO आए थे। उन्होंने पास बुक दिया था जिसे हम पिछले 25 वर्षों से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अचानक वे लोग कह रहे हैं कि ये पास बुक वैध नहीं है। जिनके पास पट्टा है, हर्जाना उन्हीं को मिलेगा। हमारे बीच सरकार विरा. ेध पैदा कर रही है। (दलित और आदिवासी समुदायों के बीच) हमने इन जमीनों पर खेती की। सरकार हमें जवाब दे। वे पोडू भूमि के लिए पट्टा चाह रहे हैं। हमारी जमीनें क्यों लेकर? वे हमारी जमीनें अनु.जातियों को दे रहे है। हम लोग गरीब हैं। 2006 गोदावरी के बाद, अपनी फसल खोने के बाद हम प्रतिदिन मजदूरी करके जी रहे हैं। अब से तीन महीने पहले तक हमारे पास नियमित कार्य नहीं था। भूमि क्षतिपूर्ति में हमें भूमि नहीं मिलेगी। अभी तक हमने कोई R & R कालोनी नहीं देखी।''

पदामुतयम (एक माला) ने सब कलेक्टर को एक मांग पत्र लिखा (कुनावरम, मांग पत्र के दौरान, योगिता राना) और इसे पढ़ा गया (किसी ने इसे पढ़ा) ''कई पीढ़ियों से हमने इन जमीनों पर काम किया, कड़ी मेहनत की। हमें पट्टा नहीं दिया गया था। जब व्यवस्थापक अधिकारियों ने हमें बुलाया तब हम नहीं जा पाए – हमारे पास वाहन के पैसे नहीं थे और मेरे परिवार में कोई बीमार था। हम अपनी जमीन के लिए पट्टा चाहते हैं। आपके कार्यालय के सामने आत्महत्या करने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं हैः हस्ताक्षरितः पदामुतयम सर्वे नं. 3/1(दो एकड़ भूमि)''।

यहां समस्या साक्ष्य और पट्टे न होने की कमी को लेकर है कि कैसे ये (भूसम्पत्ति) बंजर जमीनें इन दलितों के स्वामित्व में आयीं।

vkfnoklh Hkfe gLrkrj.k

पोलावरम बांध के R & R पैकेज से लाभ प्राप्त करने वाले ज्यादातर लोग व गैर–आदिवासी उच्च जाति के जमींदार हैं, उनके खिलाफ कोर्ट में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं, लेकिन इस बीच वे अपनी जमीन बेचने में कामयाब रहे हैं और हज़ारों आदिवासी समुदायों और दलितों को अंधकार में धकेल दिया है।

एक कोयादोर किसान, कोसी राधा की जमीन आदिवासी समुदाय की (पूर्वी गोदावरी जिले के पेदाभिमपल्ली में) थी, इसे पोलावरम के R & R कालोनी बनाने के लिए आगम अधिकारियों द्वारा ले ली गयी। हालांकि भूमि का हर्जाना मैदानी भाग में बसे अन्यत्रवासी जमींदार को दे दिया गया। राधा कहते हैं, ''15 सालों से हम इस जमीन पर मधुमक्खी का पालन कर रहे हैं। R D O आया और रोका। उसने कहा कि ये जमीन उन्होंने खरीदी है, इस पर प्रवेश करने का अधिकार हमें नहीं है। जब हमने उससे पूछा तो उसने हमारे पास एक नोटिस भेज दिया ... हम इस पर बाजरा, धान, बैंगन और कपास उगाने का काम करते हैं। हम कृषि मजदूरी व अन्य मजदूरी भी करने जाते हैं। कभी जंगलों से काजू की गिरी उठाने जाते हैं (अप्रैल–मई महीनों में)। हम प्रतिदिन 40 रुपये मजदूरी पाते हैं। हमें 5 रूपये किलो चावल मिलता है जबकि प्रत्येक परिवार के लिए 20 किलो चावल की जरूरत है। कुछ राशन की दुकान से मिलता है बाकी हमें बाहर से खरीदना पड़ता है। चूंकि जितना चावल हमें राशन से मिलता है वो काफी नहीं होता है। किरोसीन 9.50 रुपये प्रति लीटर मिलता है चीनी 14 रुपये किलो। हम केवल 6 महीने के लिए अपनी जमीन पर निर्भर हैं बाकी महीनों में प्रतिदिन श्रम–मजदूरी करके गुजारा करते हैं...।''

यहां के कुछ कोयादोरा पुरुष आपराधिक अतिक्रमण और राजद्रोह के आरोप में जेल में हैं। जिस 22 एकड़ जमीन पर R & R कालोनी बनी है वह उच्च न्यायालय में विवादित पड़ी है। एक कोन्डाडोरा महिला 'नागमनी' ने पेदाभिमपल्ली के R & R कालोनी के साथ ही चाय का खोका लगाया है।

हास्यास्पद बात यह है कि जमीन उसकी है जिस पर R & R कालेनी बनी है, यहां डूब क्षेत्र के आदिवासियों के लिए घर बनाए गए हैं। इस जमीन का हर्जाना भी x¦j&vkfnoklh (कापू) जमींदार को मिला है। नागमनी अभी भी न्याय की उम्मीद कर रही है। इस कालोनी में बसे आदिवासियों के लिए सहानुभूतिपूर्वक कहती हैं कि ''सरकार इन्हें प्रतिदिन की मजदूरी प्रदान करे (पैकेज में यह वादा किया गया था) लेकिन इन्हें अभी तक एक दिन की मजदूरी भी नहीं मिली है। उन्हें यहां छः महीने हो चुके हैं। पुरुष ज्यादा सोच नहीं रहे– वे सोचते हैं कि वे दोनों स्थानों (उनके पुराने गांवों और यह नया R & R कालोनी) पर लाभ प्राप्त करेगे...''।

खम्मम जिले में कोतारामुम्मू की कताकला वेन्कटेश्वरा रेड्डी ने कहा ''तकरीबन 40 साल पहले वन्य विभाग हमें भूमि के इस भाग पर ले आया, यह कहकर कि हम कोठा पोई (खेती बदल कर) करके मरेपुदी (ऊंची पहाड़ियों पर) जंगलों को नष्ट कर रहे हैं। उन दिनों हम भोले भाले थे, जब हम यहां आए, यहां कुछ विकास हुआ था, हमने कठिन परिश्रम से इस जमीन को उन्नत किया, जैसा कि आज दिखाई दे रही है। अब वे फिर हमें जाने के लिए कह रहे हैं। यदि वे हमें करोड़ों रूपये भी दें तब भी हम नहीं जाएंगे। हम इस परियोजना को नहीं चाहते''।

एम सत्यनारायण (जीतिगुप्पा पंचायत के पूर्व वार्ड सदस्य) ने कहा 'जलमागनम के नाम पर सरकार 1/70 अधिनियम को खत्म कर देना चाहती है। सरकार गैर–आदिवासियों से जमीन खरीद रही है, जिन्होंने खुद अवैध रूप से जमीनें खरीदी हैं। इस तरह के कुछ मामले हो रहे हैं। सरकार एक बार फिर हमें पीछे धकेलना चाहती है, इस संघर्ष में हम अपने जीवन की आहुति दे देंगे। मुख्यमंत्री का जलयागम केवल करोड़पतियों को लाभ पहुंचाएगा जिन्हें इस जल की कोई जरूरत नहीं है। यह जल विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त होगा लेकिन हमें डुबाएगा। क्या यह सरकार के लिए शर्मनाक नहीं है ? हम अपनी जिंदगी दे देंगे लेकिन पोलावरम बांध को बनाने की अनुमति नहीं देंगे।''

सरकार ने पोलावरम भूमि अधिग्रहण के लिए काम कर रहे कर्मचारियों को पुलिस सुरक्षा लेने की अनुमति दे दी है। इसके बावजूद भी डूब क्षेत्र के गांवों व R & R कालोनी व्यवस्था से प्रभावित अन्य क्षेत्रों के छोटे और मध्यम किसानों पर अन्तिम महीनों में कई मामले जबरदस्ती लाद दिए गए।

पिछले साल 2006 (या, आधिकारिक तौर पर बाढ/वैज्ञानिक भाषा में) गोदावरी से अधिकारियों को एक बड़ा अवसर मिला कि इस इलाके के (बहुत से) जमीन वाले किसानों से सहमति पत्र हासिल कर लिया। भद्रचलम के पोलावरम परियोजना कार्यालय (एक नया प्रतिष्ठान) के उप–डिप्टी कलेक्टर के उप–तहसीलदार नागेश्वर राव ने मुझसे कहा, ''किसान अपनी जमीनें सरकार को देने के लिए तैयार हैं गोदावरी में आने वाली निरंतर बाढ़ से ऐसा हुआ है, वे छोड़ने के लिए तैयार हैं। हम कुनावरम गए जब जनता ने इस परियोजना को समर्थन देते हुए हमें अपनी जमीनें देने का प्रस्ताव दिया।'' उसने हमें हस्ताक्षर युक्त (अंगूठे का छाप) अंकित लेखन वाले सहमति पत्र दिखाए। यह पत्र (तेलुगू में) स्पष्टतया यह कहता है कि गोदावरी मुम्पू वादितुलू''– गोदावरी बाढ़ से प्रभावित परिवारों ने सुरक्षित जगह पर जाने के लिए सरकार को लिखित सहमति प्रदान की !

नागेश्वर राव ने कहा, ''पोलावरम (जैसा कि इसे नाम दिया गया है) कोई मामला नहीं है, वे हर तरह से बाढ़ के शिकार हैं। हम 'पोलावरम' का प्रयेाग नहीं करते हैं। हम किसी भी मामले में किसी भी तरह से जमीन कब्जा करेंगे। सिंचाई विभाग ने जमीन का सर्वेक्षण कर लिया है और अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है। यह आसान है। पूरे गांव की जमीन पर कब्जा हो गया है (गोदावरी बाढ़ प्रभावित परिवारों के नाम पर)।

सरकार ने R & R मामलों के लिए एक सलाहकार कमेटी बनायी है। इसमें कलेक्टर, ज्वाइन्ट कलेक्टर, SDC और जमींदार हैं। किसी विवाद में या किसी भी समस्या के लिए इस कमेटी द्वारा वाद–विवाद किया जाएगा और आपसी सहमति की शर्तें उपरोक्त मामलों पर लागू होंगी। इस कमेटी के पास हर्जाने की राशि को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का अधिकार है, मजेदार बात यह है कि इसमें ग्राम सरपंच आमंत्रित नहीं हैं, लेकिन यदि वह भूमि का मालिक है तब इसकी कार्यवाहियों में भाग ले सकता है। यदि कलेक्टर चाहे तो कमेटी की बहसों/कार्यवाहियों में विचार–विमर्श करने के लिए उद्यान विज्ञान अधिकारी, आबकारी अधीक्षक, वन्य विभाग अधिकारी और सड़क तथा इमारतों के कर्मचारियों को बुला सकता है। खम्मम जिले के वी.आर. पुरम मंडल में श्री रामगिरी की कोन्डारेड्डी सरपंच सीता महालक्ष्मी पोलावरम बांध के खिलाफ ली गयी अपनी स्थिति से एक इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं हैं और 'पैकेजी' (R & R पैकेज को इस तरह कहा गया है) के खिलाफ भी है। उसका घर बस्ती में है, जिसे गोदावरी गुम्पू कहते हैं, यह हुक्कन पल्ली में है, जो गोदावरी के एकदम किनारे पर है। यहां पर कोन्डारेड्डी आवास (यहां पर कुछ कोया भी रहते हैं) की तीन बस्तियां हैं। यह समुदाय (उसके अनुसार) लगभग 500 एकड़ की खेती योग्य भूमि पर स्वामित्व रखता है।

कोन्डारेड्डी में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। जी डी गुप्ता, तुम्मुलेरू (जी रामगिरी के पास) की पंचायतों में सरपंच प्रतिष्ठित महिलाएं हैं। एक बार बांध बना तो यह सब डूब जाएगा।

वह कहती हैं, ''मेरी पंचायत के सभी गांवों में MRO गया और यह विश्वास से कहता है कि किसी भी गांव के लिए अध्यक्ष सरपंच की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में कल्थनुरू गांव के (जी रामगिरी पंचायत) वरिष्ठों ने अपनी जमीनें देने व न देने के लिए पंचायत अध्यक्ष (सरपंच) से सलाह लेनी चाही। लेकिन MRO ने उनसे कहा, ''हमें उसकी सलाह की जरूरत नहीं है। MRO ने पहले उनसे और बाद में हमसे कहा ''कि मुन्दु पोइना बल्लाके लिक्कातलू, वेनेका ओस्ते तिक्काताए, दोरूकाऊ'' (यदि तुम पहले आते हो तो तुम्हें 'टिकट' मिलेगा। हर्जाना पैकेज– बाद में नहीं मिलेगा। हम नहीं जाना चाहते हैं। यहां पर गरीब भूमिहीन लोग हैं जिनका जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ है, वे लकड़ी के अलावा अन्य वन्य उत्पाद इकट्ठा करते हैं। उनके साथ क्या होगा?...

एक सरपंच के नाते मेरा क्या विचार है, यदि अधिकारियों द्वारा मुझसे इस बारे में बात की थी? पिछले महीने (2007) हमारी ग्रामसभा में हमने पोलावरम बांध के विरोध में निर्णय पास किया। MRP (मंडल प्रजा परिषद) ने भी पांचों मंडलों (खम्मम जिले में एक प्रस्ताव पास किया कि यहां के लोग पोलावरम नहीं चाहते...''।

उन्होंने यह भी बताया कि सरकार ''गोदावरी प्रभावित'' और ''पोलावरम प्रभावित'' के पदों के सरकारी सर्वेक्षणों में प्रयोग से भ्रम पैदा कर रही है। ''मुलाकचपल्ली और जेडीगुप्पा भी गोदावरी नाराढाल (बाढ़) के जिक्र से विभ्रमित थे। हाल ही के मंडल कार्यालय में हुए मीटिंग में मैंने देखा कि केवल मुलाकलपल्ली के गैर–आदिवासियों ने ही छोड़ देने की सहमति पेश की। जेडीगुप्पा सरपंच ने मुझसे कहा कि वह इसे गोदावरी बाढ़ का पुर्नस्थापन समझती है, वह यह नहीं समझ रही थी कि वे पोलावरम बांध बनाने की सहमति दे रहे थे।

2006 में गोदावरी उस समय घटित हुआ जब स्वयं सरकार ऐसा चाह रही थी, किसी ने ठीक अनुमान किया था, बाढ़ के समय उपस्थिति सरकारी अधिकारी से बातचीत के आधार पर, और जब ऐसा हुआ तो सरकार का एकमात्र जोर जनता को विश्वास में लेना था कि निरन्तर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की जमीन को छोड़ दे और सरकार द्वारा निर्मित बेहतर कालोनियों की तरफ जाए। तब बहुत से लोगों ने कोई और रास्ता न होने पर अपनी जमीनें दे दीं। रूद्रमकोटा के एक बूढ़े किसान ने (एक दलित किसान जिसने इस वर्ष के फरवरी में अपनी जमीन बेच दी थी) मुझसे कहा, ''उन्होंने हमारे सांसद को गिरफ्तार कर लिया, हमारे विधायक पर गोली तान दी, तो हम क्या हैं? क्या हम इस

सरकार से लड़ सकते हैं?'' उसने खम्मम में CPI (M) द्वारा आयोजित धरने, प्रदर्शन पर पुलिस फायरिंग (जनवरी 2007) का जिक्र किया जिसमें CPM के विधायक (सुन्नमरा जैया) व सांसद (मिदियाम बाबूरामो) भी उपस्थित थे। इस फायरिंग में एक कार्यकर्ता ने अपनी एक टांग गंवा दी और बहुत से घायल हुए।

एक अन्य दलित किसान 'बाबू' ने कहा, ''मेरे पास बमुश्किल से दो एकड़ जमीन है, इससे मिले पैसों से बमुश्किल मैं अपनी बेटियों की शादी कर पाउंगा, और कोई रास्ता नहीं है ! मेरे गांव के हरेक लोग यही कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि हम कहां रहेंगे। जब परियोजना आएगी तब हम लोग शायद कुत्तों की तरह जिंदगी जिएंगे या उसके आने से पहले ही ऐसा हो! कौन जानता है? यदि ऐसा नहीं भी होता– तो भी हमारी जमीन जा चुकी है लेकिन मुझे बताओ कि मेरे पास चुनने के लिए क्या है'''?

iohl xkknkojh dk dNkj xkg &

पोलावरम बांध का अप्रत्यक्ष प्रभाव

''हम गोदावरी की पूजा करते हैं, उसकी ओर उम्मीद से देखते हैं केवल तीन महीने के लिए वह आती है जब वह आती है (बाढ़) तब हम अपनी फसल बोते हैं; हमारी कृषि गोदावरी ताली (मां गोदावरी) के खुले जमीन के छोटे से हिस्से पर होती है''।

''जब हमारे लिए गोदावरी आती है तब कुछ समय के लिए मछलियों की भरमार हो जाती है अन्यत्र थोड़े से गांव इस... बाढ़ के हिस्से में आते हैं, लेकिन सबसे अच्छी मछलियां हमें गोदावरी में ही मिलती हैं। गोदावरी के आने के तुरंत बाद के महीनों में हमें सबसे अधिक मछलियां मिलती हैं''।

कहीं किसी एक जगह पर गोदावरी के मुहाने के पूर्वी गोदावरी जिले के गांव हैं, न केवल गांव में रहने वाली जनसंख्या अपितु वहां के पेड़ो, पक्षियों, जानवरों को भी इसका इन्तजार रहता है। जो वहां के वाशिंदे हैं। कोरिंगा बन्य जीव अभ्यारण्य, जो पहले आरक्षित जंगल था का एक हिस्सा उसका कछार जंगल है।

कोरिंगा में मालादनरसम्मा के मछुआरा परिवार नरसिम्हा मूर्ति और उनका बारह साल का बेटा 'महालक्ष्मी' (पिछड़ी जाति के एक प्रवर्ग की अग्निकुला क्षत्रिय जाति से हैं जिसे स्थानीय तौर पर वादेलू से जाना गया है) जैसे अन्य दूसरों की तरह ही वर्षा ऋतु के (अप्रैल से जून) पहले के महीनों में ही मछली पकड़ने वाले नाव को सकरे नद्नालों (जिसे स्थानीय भाषा में कलूवास कहते हैं) के साथ कछार जंगलों और अपने नावों में वस्तुतः जीवन गुजारने लगते हैं। मालापा परिवार सुबह 6 बजे से कभी–कभी देर रात तक मछली

पकड़ते हैं, मछली पकड़ने के आधार पर 30 से 100 रूपये प्रतिदिन तक कमा लेते हैं। नरसिंहा मूर्ति ने बताया कि कछार जंगल बाढ़ के थपेड़ों से हमें बचाते हैं।

पालीपूशेषा राव एक अन्य दूसरा मछुवारा भैरवलंका के राह की ओर वाले गौतमी गोदावरी नामक एक नद में मछली पकड़ता है और उसकी ही तरह एक दूसरा परिवार भैरवलंका के निकट चिमितमपका में मछली पकड़ता है, जब मैं उनसे मिली थी तब अप्रैल का महीना था। ये लोग कम मछली मिलने वाले मौसम में इन कछार वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। कछार जंगल की लकड़ियों के टुकड़े को निकट के काकिन्दा के ईंटभट्ठा को बेचकर 100 रूपये तक कमा लेते हैं यह (नालों में भाग्य से एक) उनके मछली पकड़ने के अलावा आमदनी का अतिरिक्त स्रोत हैं। पूरे परिवार को नाव पर ही देखा जा सकता है और आप इस तरह अन्य कईयों को भी देख सकते हैं। यद्यपि यहां एक बुरा पक्ष भी है – जंगल विभाग के अधिकारी हमेशा केस लगाने या कुछ पैसा लेकर छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं।

गोलातीवीरा राध वूलू पूर्वी गोदावरी जिले के भैरवपालेम का एक दलित किसान है। विजय लक्ष्मी भी यही है। वे गोदावरी 'बाढ़' के महत्व को समझते हैं। वे बताते हैं कि ''गोदावरी आती है, वह 2–3 दिनों के लिए ठहरती है (गोदावरी वच्चिननपुइरेन्दु–मुड़ रोजूलू अमतून्ही) उसके बिना हम अपने खेतों में फसल नहीं उगा सकते''।

वीराराघवूलू बांध के बारे में कहते हैं कि ''जब पोलावरम बांध आएगा हमें यह खास पानी ही मिलेगा, साफ पानी नहीं। केवल गोदावरी के आने पर ही हमें साफ पानी मिलता है। वे कह रहे हैं कि बांध इसे रोक देगा लेकिन तब हमारे लिए कोई फसल नहीं होगी''।

विजय लक्ष्मी ने इसमें जोड़ा– ''बारिश और गोदावरी हमें हमारी फसल देती है। हम कुछ दालें और धान उगाते हैं। हम मानसून के समय खेतों को तैयार रखते हैं। इस दौरान व गोदावरी के आने के तीन महीनों में हम जुताई व बुवाई करते हैं। वे 'वारादालू' कहते हैं और सभी लोगों के लिए यहां बारालू (बाढ) का अर्थ है बहुत अधिक अच्छा गोदावरी हमें पीने, धान, फसलें उगाने के लिए जल देती है।7

7 यह पहली बार है मैंने लोगों के द्वारा इस विभेद को सुना। उसने खुद इस परिभाषा को रेखांकित व गुणवत्ता प्रदान की। यह सब एक स्वतःस्फूर्त प्रवाह में हुआ। मैंने उनसे इस बारे में कोई सवाल नहीं पूछा था।

ikykoje ckèk vkj tky&vofèk 8

पोलावरम बांध से प्रभावित होने वाले लोगों को पिछले एक साल से पुलिस प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगातार प्रताड़ित कर रही है, और जब मैं अप्रैल 2007 में इस क्षेत्र का दौरा कर रही थी तब उसमें कुछ राज मुन्दरी के केन्द्रीय जेल और (महिला कारावास) में बन्द थे। कुंजम रामाराव, मुद्दिका सुरम्मा और गीइदी पेन्थैया (अन्तिम दो लोग AP रैथू कुली संगम के सदस्य हैं) जैसे कुछ लोग थे। उनमें से कुछ पर धारा 143, 346, 153, 153 (A), 124 (A), 141, 447, 434, 427 IPC लगायी गयी थीं। इनमें से कुछ धाराओं का अर्थ है ''(होना) अवैधानिक सभा का सदस्य'' (143), ''किसी व्यक्ति/अधिकारी को गलत तरीके से रोकना।'' (341), ''पूजा के स्थानों पर वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना'' 153 (A) देशद्रोह' (124 A) ।

पोलावरम में कोई भी जो खुले आम बांध की आलोचना करता है और राजनीतिक व्यक्ति होता है तो उसे विभिन्न धाराओं और गलती का दोषी मानकर गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरा गांव जो डूब क्षेत्र में नहीं है आदिवासी किसानों पर ठीक ऐसे ही झूठे केस लगा दिए गए हैं। 70 वर्षीय एक्काराजलादोरा को अपनी ही जमीन पर ''आपराधिक अतिक्रमण (धारा 353) IPC को व ''अधिकारियों को काम करने से रोकना'' जैसे केस लगाए गए थे। वह एक कोयदोरा किसान है जो पूर्वी गोदावरी जिले के देवी पट्टनम मंडल में इन्दूकूर पंचायत में आने वाले एम रविलंका के आदिवासियों के सामुदायिक जमीन के एक राजस्व अधिकारी से अपनी जमीन खो देने पर प्रश्न किया जो बीड़ी गुदेन, पारागसनपाइ और डी रविलंका के आदिवासी को दिए जाने वाले (जमीन के बदले जमीन) जमीन का हिस्सा है। यह पोलावरम में पल्ली के R & R कालोनी का हिस्सा है। उस पहले ''सेटलमेन्ट'' जो दुकूट पंचायत के पेदाभिमपल्ली कालोनी का हिस्सा है।

देवी पट्टनम मंडल के इस हिस्से में आदिवासी समुदाय को उनके जीवन, जंगल, जमीन से यहां तक कि बांध बनने के पहले से ही वंचित कर दिया गया है। लेकिन यदि वे इस बारे में सवाल करते हैं तो अधिकारी धाराओं की एक फेहरिस्त के साथ इन निर्बल जनता पर लगा देने के लिए तैयार रहते हैं। यह एक 'पुर्नव्यवस्थापन' से अन्य दूसरों को बेघर करने का मामला है। चेगोनाद पल्ली ने रंगा और मिदियाम सिंह राजू ने कहा, ''हम इतना डरे हुए हैं कि पोलावरम के मंगल बाजार (सात्ता) नहीं जा रहे हैं क्योंकि आप नहीं जान सकते, वे किसे पकड़ लेंगे।

b l d: ckotn Mc {k= e: i ;Vu dk fodkl

पिछले साल से ही गोदावरी में जल–क्रीड़ा करने वाले पर्यटकों की संख्या में गुणात्मक बढ़ोत्तरी हुयी है। लोगों ने बताया कि कुछ रविवारों को राजमंदरि और पापी कोन्डालू वन्य अभ्यारण्य के बीच दस से पंद्रह पर्यटन नौकाओं को उतारा गया है। ये पर्यटन नौका राजमंदिर से पारीसीमा, पोसाम्मगड़ी, पापी कोन्डालू होते हुए पेटान्तपल्ली की ओर जाती हैं, दो दिनों के 'पैकेज' भी हैं जिसमें आदिवासियों के बांस वाली झोपड़ियों में एक रात रुकना अतिरिक्त है। साथ ही कोल्लूरू (गैर–आदिवासी जमींदारों द्वारा बनाया हुआ) और पामूचेरू जलप्रपात भी दिखाया जाता है। यह पर्यटन आन्ध्र प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा प्राधिकृत है, जैसा कि एक नौका दलाली भी ली जाती है।

इस असंगठित अनियंत्रित पर्यटन संचालन से श्रमिकों के (तदर्थ) शोषण उत्पीड़न की अपार संभावनाएं हैं। भव्य, जो सोलह साल की छोटी सी बच्ची है वह हर रोज अपनी आजीविका के लिए इन नौका विहारों पर नाचती है। उसने दसवीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी है, उसकी मां राजमंदरि अस्पताल में सहायिका हैं वह अपने ''मास्टर'' के साथ लोकप्रिय फिल्मों के गानों की धुन पर नाचकर 250 रूपये प्रतिदिन कमा लेती हैं। मास्टर लगभग 20 साल का साईं कृष्णा है जो कभीकभार दूसरे ''छात्रों'' को नृत्य के लिए ले आता है। यहां पर और भी दूसरे बच्चे काम करते हैं जैसे जीनू; जो विजयामगरम से 15 साल का अशिक्षित बच्चा है और 1500 रूपये प्रति महीने कमा लेता है। यह कृषि मजदूर का बेटा है जिसे अपनी दो बहनों की शादी करनी है। वह यहां एक साल से है। ये बच्चे पूरी यात्रा और भोजन के अंत तक निरंतर काम करते हैं। यह पर्यटन जो उपभोग करता है। आप लोगों की जिंदगी छू नहीं सकते हैं सिवाय इसके कि मुनाफा के लिए श्रम और प्राकृतिक संपदा का शोषण करें। औपनिवेशिक काल से ही पापी कोन्डालू की पहाड़ियां न खत्म होने वाले आदिवासियों के श्रम, जमीन से वंचना, जंगलों का दोहन जैसे परिणामों को लगातार देख रही हैं। एक तरफ पर्यटन नौका विहार और दूसरी तरफ तेलुगू फिल्म उद्योग शायद अनजाने ही एक–दूसरे का पोषण कर रहे हैं। अभी हाल में ही गोदावरी और पापी कोन्डालू पहाड़ियों की खूबसूरती हाल के पर्यटन विहार की शुरुआत निश्चय ही आधुनिक तेलुगू फिल्म उद्योग के निर्माण में सबसे अधिक पार्श्व भूमिका के रूप में सामने आयी है। दोनों ही जनता की वास्तविक जिंदगी व उनकी समस्याओं से नहीं जुड़ती हैं। तात्कालिक रूप से विस्थापन के खतरे व डूब की संभावना लगातार बढ़ने के बावजूद इसे राज्य सरकार समर्थन दे रही है।

ukV%&

mijkDr ys[kd us ikykoje ckèk ifj;kstuk ds yxHkx ,d lky ds voyksdu ds vkèkkj ij fofHkUu i{kksa dks j[kus dh dksf'k'k dh gSA ;g ek= ikykoje ckèk foLFkkiu dh tfVyrk dks is'k djrk gSA ,slk dg ldrs gSa fd ;g ek= fo'kky foLFkkiu dk ,d ^n`';* gS tks vkUèkz insz'k ds [kEeu vkSj iwohZ o if'peh xksnkojh ftys dh turk ds thou dks [krjs esa Mky jgh gSA

8 सम्बन्धित लेख के लिए – EPW जून 23–29, Volume IXLIII No. 25, पृष्ठ संख्या 23 – 85 – 87 देखें।

---

8. This is the first time I hear this distinction made by the people themselves. She specified the term and qualified it. All this happened in a spontaneous flow. I had not asked them any question to that effect.
9. For related article - see EPW, June 23-29, Vol.XLII No25, pp.2385-87

ikykoje ck/k% dN egRoi.k fodkl

jk"Vªh; ikdZ d s :i e sa ikihdkUMky w oU; tho vH;kj.;& lh-b- lh- d s i z'u

जानकार स्रोत ने बताया कि केन्द्रीय आधिकारिक कमेटी, जिसने पोलावरम बांध के स्थल का दौरा किया, के निर्देशानुसार राजस्व, सिंचाई और वन्य विभाग पापीकोन्डा वन्यजीव अभ्यारण्य के पुनर्गठन और सुधार की योजना पर काम करना शुरू कर चुकी है। राजमंदरि से 50 किलोमीटर दूर स्थित पापीकोन्डा वन्य जीव अभ्यारण्य 551 वर्ग किलोमीटर में खम्मम पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी के तीनों जिलों में फैला हुआ है।

यह पूर्वी घाट के उत्तम जंगलों में से एक माना जाता है। अभ्यारण्य क्षेत्र अपने आद्र जंगल पट्टियों के साथ गोदावरी के किनारे पर स्थित है जो पापीकोन्डा की पर्वतीय श्रृंखलाओं से होकर गुजरती हैं। तेंदुआ बिल्लियों के अथवा पापीकोन्डालू वन्य जीव अभ्यारण्य दलदली मगरमच्छ, प्राचीन विशाल वृक्ष व फूल वाले झरमुट से भी जाना जाता है। अप्रवासी पक्षियों के अलावा अभ्यारण्य चितकबरा धनेस (एक प्रकार का हिरण) और पहाड़ी काले रंग की मैना को आवास प्रदान करता है। केन्द्रीय आधिकारिक समिति ने पता लगाया कि अभ्यारण्य 1700 हेक्टेयर भूमि और इतना ही अन्य जंगली क्षेत्र पोलावरम परियोजना से डूब जाएंगे। अभ्यारण्य में बसे 27 गांवों में से 24 गांवों को अन्यत्र बसाना पड़ेगा। केन्द्रीय आधिकारिक समिति ने राज्य अधिकारियों को अन्य तीन गांवों को भी अन्यत्र बसाने के लिए कहा है और 200 से 300 वर्ग किलोमीटर के अच्छे वन्य भूमि को अभ्यारण्य में शामिल करना चाहिए। इसके लिए परिक्षेत्र चिन्हित करने व इसके लागू होने के साथ ही 900 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र वाले पी.डब्लू.एस. (पापी कोन्डालू

oU; tho ckMZ }kjk ikykoje ifj;kstuk dk vuqeksnu

हैदराबाद : राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड ने विभिन्न पहलुओं जैसे पापी कोन्डालू वन्य जीव अभ्यारण्य के इस परियोजना के तहत डूब में आने पर ध्यान देते हुए पोलावरम परियोजना के वन्य जीव पक्ष को अनुमोदित कर दिया। यह निर्णय बोर्ड की स्थायी समिति ने नई दिल्ली में हुई एक मीटिंग में लिया, जिसमें वन व पर्यावरण के केन्द्रीय राज्यमंत्री ए.राजा भी शामिल हुए। इस बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री ने की। सिंचाई मंत्री पी.लक्ष्मैया ने यहां घोषित किया कि परियोजना के तहत अभ्यारण्य क्षेत्र को 187 हैक्टेयर जमीन के डूब में आने से बोर्ड द्वारा इसको अनुमोदन देना जरूरी हो गया था।

वन्य जीव बोर्ड द्वारा दिए गए क्लीयरेन्स को सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। परियोजना को वन्य क्लीयरेन्स भी लेना पड़ेगा। मंत्री ने यह आश्वासन दिया कि पोलावरम बांध के लिए राज्य सरकार सभी प्रकार की मान्यताएं हासिल कर लेगी।

विशेष संवाददाता – 'द हिन्दू' 9 जून, 2006

unh tksMus dh ifj;kstuk dk i;kZoj.kh; vuqeknu

केन्द्र द्वारा भारत के पहले नहीं जोड़ने की परियोजना, बहुउद्देश्यीय पोलावरम परियोजना को पर्यावरणीय अनुमोदन प्राप्त हो चुका है। आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्र की जनता के हृदय में लम्बे समय से बसे सपने को यह परियोजना तटीय क्षेत्र के 4 जिलों विशाखापत्तनम, पूर्वी व पश्चिमी गोदावरी और कृष्णा की 7.5 लाख एकड़ जमीन पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही 13500 करोड़ रुपया वाली परियोजना विशाल गोदावरी नदी को कृष्णा नदी से जोड़कर इसके 80 टी.एम.सी. जल को मोड़ देगा। इन्दिरा सागर नाम के इस विशाल परियोजना का निर्माण पश्चिमी गोदावरी जिले के पोलावरम में होगा, जिसमें 181.5 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर बायीं ओर व 174 कि.मी. लम्बी मुख्य नहर दायीं ओर होगी। यह परियोजना 960 मेगावाट बिजली का उत्पादन और विशाखापत्तनम के साथ मार्ग में आने वाले 540 गांवों को पानी मुहैया कारएगी।

द ट्रिब्यून, 26 दिसम्बर, 2005

वन्यजीव अभ्यारण्य) को एक राष्ट्रीय पार्क घोषित कर देना चाहिए। सुत्रों से पता चला कि पी.डब्लू.एस. के राष्ट्रीय पार्क में बदलने की लागत 50 करोड़ रूपये है जिसे सिंचाई विभाग उपलब्ध कराएगा।

dsUnzh; vkfèkdkfjd lfefr }kjk mBk, x, iz'u

केन्द्रीय आधिकारिक समिति ने बांध स्थल को 28 और 29 जुलाई (2006) को देखने के बाद 8 अगस्त को एक विस्तृत सुनवाई रखी। इसने (सी.ई.सी.) कुछ प्रश्न उठाए और राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर लिखित अनुदेश देने के लिए कहा।

1. वन के विस्तार क्षेत्र (आरक्षित व डीम्ड वन) जो कि डूब जाएंगे, उसका अध्ययन अपूर्ण है। एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जानी चाहिए....

2. वन्य अभ्यारण्य का वह भाग जो डूब जाएगा, कथित क्षेत्र से कहीं अधिक बड़ा है और केन्द्रीय अधिकारिक समिति व सुप्रीम कोर्ट को प्रस्ततु किए गए आंकड़ों से मेल नहीं खाता है।

3. जंगल के डूब क्षेत्र को कम करने के उपाय अपनाए जाएं।

4. परियोजना द्वारा वन्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन के लिए प्रतिष्ठित संस्थान की सहायता ली जाए।

5. विस्थापित लोगों को पुनः बसाने व पर्नव्यवस्थित करने की प्रक्रिया अपनायी जाए।

6. पोलावरम परियोजना की वर्तमान उइधाहक सिंचाई योजना और इसके अधीन क्षेत्र के संदर्भ में आर्थिक रूप से संगत बनाए जाएं।

7. कितने अनुमोदन की आवश्यकता है और कितना हासिल हो चुका है।

8. पहले से प्राप्त हो चुके पर्यावरणीय अनुमोदन का पुनरीक्षण क्यों नहीं हुआ है।

9. छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य की इस परियोजना पर क्या अवस्थिति है।

10. छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के डूब क्षेत्र की संयुक्त जांच हो।

11. परियोजना का कानूनी निहितार्थ, जैसा कि परियोजना का कुछ भाग वन्यजीव अभ्यारण्य में होगा।

12. V अनुसूची क्षेत्र के डूब और आदिवासियों के आरक्षित क्षेत्र में पुर्नवास का विधिक निहितार्थ क्या होगा।

13. क्या +150 फीट जलाशय का तल एफ आर एल है या अधिकतम जल स्तर, पीछे के डूब क्षेत्र वाले जल को लेकर होगा।

14. बांध छूट की स्थिति के समय बांध टूट विश्लेषण, जोखिम का अनुमान और प्रबंधन की योजना।

15. दिनांकों की सूची।

केन्द्रीय आधिकारिक समिति ने चेतावनी दी है कि उसे जंगल के संदर्भ में अनुमोदन पर सिफारिश करना कठिन पड़ सकता है यदि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा सरकार के क्षेत्र में डूब के तहत आने वाले जंगलों की दरख्वाशत नहीं करते हैं इसके पहले छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि ने बताया कि उनका राज्य पिछवाड़े के डूब क्षेत्र

वाले जल सहित यदि अधिकतम जल स्तर +150 फीट से ज्यादा न हो तो इसके क्षेत्र में हुए डूब पर कोई विरोध नहीं होगा। उड़ीसा के प्रतिनिधि ने कहा कि अपने राज्य के डूब के खिलाफ हैं और रहेंगे।

fyf[kr vuns'k

सी.ई.सी. को दिए गए लिखित अनुदेश में उठे विरोध

(सितम्बर 2006 को दिया गया था) : 28 पृष्ठीय प्रपत्र के कुछ अंश

''पोलावरम परियोजना का निर्माण कार्य सी.डब्लू.सी. के अनुमोदन के बिना ही शुरू कर दिया गया जबकि अन्तर्राजीय परियोजना होने के चलते यह अनिवार्य था। इस परियोजना के पूरा होने पर आंध्र प्रदेश के 276 गांव, उड़ीसा के 7 गांव, छत्तीसगढ़ के 16 गांव की 1,95,357 जनसंख्या को विस्थापित होना पड़ेगा। (अकेले आंध्र प्रदेश के 44,547 परिवारों को पुर्नवास व पुर्नस्थापना की योजना के तहत लिया गया और हमें संदेह है कि यह कम है) विस्थापितों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, लगभग 15 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अन्य दूसरे प्रवर्गों में से आते हैं। इन सब का आंकड़ा 150 फीट स्तर वाले पूर्ण जलाशय के हिसाब से लगाया गया है। तथापि डूब क्षेत्र में आने वाले व विस्थापित होने वाले गांव व जनता की संख्या में महत्वपूर्ण वृद्धि जलभराव के पानी के चलते विस्तृत परिणाम आने से पता चलेगा। ऐसा अंदेशा है कि अपेक्षित +183 फीट जलस्तर के चलते 400 गांव और 3.3 लाख से अधिक लोग प्रभावित होंगे।

पूर्वी गोदावरी जिले के दो गांवों को छोड़कर आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के सभी गांव डूब क्षेत्र में आएंगे। जलाशय के 637 वर्ग किलोमीटर वाले कुल डूब क्षेत्र का 601 वर्ग किलोमीटर आंध्र प्रदेश में, 24 वर्ग किलोमीटर छत्तीसगढ़ में और 21 वर्ग किलोमीटर उड़ीसा में पड़ता है। यदि जल स्तर ई.आई.ए. और ई.एम.पी. के अनुसार +150 फीट हो, लेकिन वास्तविक सर्वेक्षण किया जाए तो डूब क्षेत्र इससे कहीं अधिक होगा। कूल डूब क्षेत्र का 3223 हैक्टेयर उड़ीसा में आरक्षित वन्य क्षेत्र है। (आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार वास्तविक आंकड़े संयुक्त जांच करने से पता चलेगा) आंध्र प्रदेश में यह जंगल क्षेत्र अंशतः पापीकोन्डा वन्यजीव अभ्यारण्य में आता है। परियोजना स्थल के अनुप्रवाह में 300 वर्ग किलोमीटर का कोरिंग कछार जंगल है जिसे अभ्यारण्य घोषित किया गया है। यह कछार जंगल भी बांध के चलते गोदावरी नदी के कमतर साफ पानी के प्रवाह की कमी से प्रभावित होगा।

इस परियोजना के निर्माण में अनिवार्य वैधानिक अनुमति हासिल किए बिना ही बहुत से संवैधानिक व कानूनी प्रावधानों का आंध्र प्रदेश सरकार उल्लंघन कर रही है। इसके अलावा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से नियमों का भी आंध्र प्रदेश सरकार उल्लंघन कर रही है।

dkuu vkj U;k; d crk;s gq, jkLrs

- पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम और इसके तहत बनाए हुए 1986 की नियमावली
- पर्यावरण प्रभाव अनुमान अधिसूचना, 1994; आर/डब्लू अधिसूचना, 1997
- जंगल (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- जंगल (संरक्षण) नियमावली, 2003; इसे समय–समय पर संशोधित किया गया
- वन्य जीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972
- वछावत निर्णय (दिनांक 7.7.1980)
- भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची के प्रावधान
- पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्र की सीमा तक)
- अधिनियम, 1996। यह ''पीईएसए'' (पीसा) नाम से लोकप्रिय है।
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 (9) में प्रस्तुत प्रक्रिया
- सन् 2000 में कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में 9 एससीसी 572 का पैरा 52, पेज नं. 641 (एफ)
- टी.एन. गोदावरमन थीरूमलपाद (87) बनाम भारत संघ (2006) में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। 1 एससीसी 1।
- एन.डी. जायल बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, 2004 में प्रस्तुत। 9 एससीसी 362।
- नर्मदा बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2000)। 10 एससीसी 664
- नर्मदा बचाओ आन्दोलन बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय (2005)। 4 एससीसी 32

cNkor fu.k; dk mYy?ku

बछावत न्यायाधिकरण ने व्यापक सुनवाई के बाद 7.7.1980 को निर्णय देते हुए केन्द्रीय जल आयोग को बांध की रूपरेखा बनाने की पूरी शक्ति प्रदान की और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ व उड़ीसा के डूब क्षेत्र व जल भराव के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तय कार्यवाहियों को जारी किया।

केन्द्रीय जल आयोग ने डीपीआर पर कई आपत्तियां कीं, जिसमें आंध्र प्रदेश सरकार ने अभी तक तैयार नहीं किया था।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 30.9.1994 को केन्द्रीय जल आयोग को एक पत्र दिया जिसमें कहा गया था कि इन राज्यों के परामर्श से जल भराव के प्रभाव का अध्ययन वांछनीय होगा।

पोलावरम बांध के निर्माण के चलते छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्य के डूब वाले इलाके के तहत अन्तर्राज्यीय विवाद को हल करने के लिए केन्द्रीय जल आयोग ने 26.02.07 को अन्तर्राज्यीय मीटिंग आयोजित की। जल भराव के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए इस मीटिंग में संयुक्त सर्वेक्षण का निर्णय लिया गया और एक मीटर के प्रतिरूप के साथ विस्तारित प्रतिरूप योजना तैयार की गई ताकि अनुमानित जल भराव के स्तर को प्रभाव में आने वाले गांवों व अन्य को दिखाया जाए।

आंध्र प्रदेश सरकार ने जल भराव के प्रभाव व डूब पर केन्द्रीय जल आयोग को एक सुधारी हुई रिपोर्ट सौंप दी और यही रिपोर्ट छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों को भेज दी। आन्द्र प्रदेश द्वारा बनाई गई रिपोर्ट छत्तीसगढ़ व उड़ीसा राज्यों द्वारा जल भराव के भराव को अपने राज्यों के संदर्भ में तैयार किये सर्वेक्षण की रिपोर्ट से मिलती–जुलती नहीं है। इसीलिए छत्तीसगढ़ व उड़ीसा सरकार ने परियोजना के निर्माण का विरोध करना शुरू कर दिया है और इस मंतव्य को केन्द्रीय जल आयोग को प्रेषित कर दिया है।

25.05.2001 को केन्द्रीय जल आयोग ने नई दिल्ली में उच्चस्तरीय मीटिंग आयोजित की जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के प्रतिनिधि ने इस परियोजना के चलते आरक्षित जंगल व संरक्षित जंगल के डूब में आने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा पेश किया जो आंध्र प्रदेश के होने वाले डूब क्षेत्र से कहीं अधिक है।

केन्द्रीय जल आयोग द्वारा चिन्हित की गयी कमियों को दूर किये बिना ही आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग को सूचित किया कि पुराने प्रस्ताव को सुधार दिया है उसे इस परियोजना के अनुमोदन के लिए कायल किया। आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय जल आयोग के वैध निर्देशों का उल्लंघन किया और बछावत निर्णय का उल्लंघन करते हुए 27.07.2004 को जी.ओ.एम.एस.74 जारी कर दाहिने मुख्य नहर के लिए 1320 करोड़

रुपये की प्रशासनिक सहमति दे दी। उसके बाद कई सरकारी आदेश जैसे 06.11.2004 को जी.ओ.एम.एस. नं. 129 और 24.03.2005 को जी.ओ.एम.एस. नं. 54 जारी कर राज्य स्तर पर परियोजना के विभिन्न पहलुओं को प्रशासनिक सहमति दी गयी। 10.01.2005 को आंध्र प्रदेश सरकार ने निविदा आमंत्रित की और परियोजना को पूरा करने के लिए विभिन्न पैकेजों के तहत ठेकेदारों के साथ समझौते शुरू कर दिए गए। मार्च 2005 से ठेकेदारों ने परियोजना पर काम करना शुरू कर दिया है। पंचायत (अनुसूचित क्षेत्र की सीमा तक) अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम नं. 40) जो पैसा (पी.ई.एस.ए.) के नाम से लोकप्रिय है, राज्य सरकार को बाध्य करनी है कि अनुसूचति क्षेत्र की जमीन के अधिग्रहण, पुनर्वास व पुर्नव्यवस्थापन के लिए ग्रामसभा से सलाह ले। कोई भी राज्य ग्राम–सभा की सलाह के बिना खुद विकास परियोजना को लागू नहीं कर सकता है।

आदिवासी मामले के मंत्री ने अभी तक पुर्नवास व पुनर्विस्थापन के पैकेज को मान्य नहीं किया है। आंध्र प्रदेश सरकार को आदिवासी मामले के मंत्री ने एक पत्र में सम्बोधित किया है कि ''अनुसूचित जनजाति के लिए जमीन सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक है जो उन्हें काश्तकारी सुरक्षा व भोजन प्रदान करता है। नकद मुआवजा चाहे वह कितना भी हो, इस तरह की सुरक्षा प्रदान नहीं करता और यह बहुत तेजी व आसानी से हाथ से निकल जाता है इसलिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 'जमीन के बदले जमीन' का मुआवजे की सबसे अधिक जरूरत है। अनुसुचित क्षेत्रों में होने वाले विकास में इसके विस्थापित अनुसूचित जनजाति के परिवारों का लाभांश व शेयर में हिस्सेदारी भी जरूर होनी चाहिए। 'जमीन के बदले जमीन' का मुआवजा परियोजना क्षेत्र के आस–पास ही दिया जाना चाहिए। यह तय है कि राज्य सरकार इस पर विचार करेगी। कृपया इसे स्पष्ट करें और ब्यौरा प्रदान करें।''

gky fQygky ¼tqykbZ 2007½

2005 की समादेश याचिका संख्या 17368, 17705, 18020, 19717 और 27095

आन्ध्र प्रदेश हाईकोर्ट में दायर समादेश याचिका के बैच में 18 फरवरी 2006 के अंतिम निर्णायक सुनवाई के बाद आंध्र प्रदेश के मानवीय मुख्य न्यायधीश ने इसे 20 जुलाई 2007 तक निपटा देने का निर्णय दिया। आंध्र प्रदेश कोर्ट के निर्णय की तय कार्यवाहियां निम्न हैं :

माननीय मुख्य न्यायाधीश श्री जी एस सिंघवी और

माननीय न्यायाधीश श्री आर सुभाष रेड्डी

2005 के समादेश याचिका संख्या : 17368, 17705, 18020, 19067, 19717 और 27095

2005 का समादेश याचिका संख्या 17368

lekn'k ;kfpdk dk fuiVku dk ifj.kke fuEu :i esa vk;k %

• पोलावरम परियोजना का निर्माण बछावत निर्णय की धारा 6, पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के प्रावधानों, जंगल (संरक्षा) अधिनियम 1980, संविधान की पांचवी अनुसूची और आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1980, संविधान की पांचवीं अनुसूची और आंध्र प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 के अधिनियम 1994 के सेक्शन 242–एफ में निहित प्रावधानों का स्वतः उलंघन नहीं करता है। फिर भी बांधके निर्माण के लिए केन्द्रीय जल आयोग का अनुमोदन और 1980 के अधिनियम के सेक्शन 2 (11) के तहत केन्द्रीय सरकार की मंजूरी हासिल करनी जरूरी है।

• केन्द्रीय जल आयोग इस आदेश की एक प्रति मिलने की तिथि से तीन महीने की अवधि के भीतर बछावत निर्णय की धारा 6(1) के तहत अंतिम निर्णय ले लेगा। इस अवधि के भीरत केन्द्र सरकार जंगल (संरक्षण) अधिनियम 1980 के सेक्शन 2(11) के तहत राज्य सरकार को प्रार्थना पत्र पर निर्णय दे देगा।

• यदि केन्द्रीय जल आयोग इन तीन महिनों के भीतर परियोजना की मंजूरी नहीं देता है तब राज्य सरकार उपयुक्त वैधानिक उपाय हासिल करने के लिए स्वतंत्र होगा। इसी तरह 1980 के अधिनियम के सेक्शन 2(11) के तहत यदि केन्द्र सरकार मंजूरी देने से मना करती है तो परियोजना के कार्यान्वयन में जंगल की 7500 एकड़ जमीन का प्रयोग नहीं होगा, फिर भी केन्द्र सरकार के किसी अस्वीकृति के खिलाफ राज्य सरकार उपयुक्त वैधानिक उपाय के प्रयोग के लिए स्वतंत्र होगा।

• पुनर्वास नीति के प्रभावी रूप से पूरा किये बिना राज्य सरकार पोलावरम बांध से विस्थापित होने वाले गांव के लोगों को जो डूब क्षेत्र में आते हैं और वे लोग जो (अनुसूचित क्षेत्र में रह रहे हैं व) परियोजना के कार्यान्वयन से प्रभावित होंगे, को विस्थापित नहीं करेगी। इसका अपरिहार्य अर्थ है कि बांध के भरने व गांव के डूबने से पहले नीति के अनुरूप प्रभावित लोगों को पुनर्वासित, पुनर्व्यवस्थित व मुआवजा दे दिया जायेगा।

• राज्य सरकार जब भी जमीन का अधिग्रहण करेगी उसे जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1894 के सेक्शन 17 (3–ए) के अनुरूप जमीन मालिक को मुआवजा देने के बाद अधिकार का दावा करेगी। इसका अपरिहार्य अर्थ है कि धारा की शर्तों के तहत जमीन का मुआवजा दिए बिना किसी व्यक्ति को जमीन से बेदखल नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर
जी. ए. सिंघवी, मुख्य न्यायाधीश
आर. सुभाष रेड्डी, न्यायाधीश
जून, 2007

ये पैकेज खत्म कर देंगे, क्योंकि हमारे पास अपनी जमीनें नहीं हैं। तब क्या तुम्हारी सरकार खुश होगी? शायद पोलावरम परियोजना खुश होगी, जब हमारे जैसे छोटे मजदूर मर जाएंगे। अब हमारे पास शायद इन पेड़ों को पकड़कर रोना ही बचा है। जमींदार अपनी जमीनें ले लेंगे। हमारे लिए क्या ?''

70 वर्षीय वृद्ध सरोजिनम्मा, मारिगुदेम गांव (जिला–खम्मम)

PEACE

F-93, 1st Floor, Katwaria Sarai
New Delhi - 110 016
peaceact@vsnl.com